छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर 492002

क्रमांक एफ 7–19 / 2015 / 12(पार्ट)/1 रायपुर, दिनांक

प्रति,

समस्त कलेक्टर पदेन अध्यक्ष
जिला खनिज संस्थान न्यास,
छत्तीसगढ़।

विषयः–छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति।

छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के माध्यम से खनन संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र एवं व्यक्तियों के हितो एवं लाभ के लिए राज्य के सभी जिलो में जिला खनिज संस्थान न्यास (District Mineral Foundation Trust) का गठन किया गया है।

2/ जिला खनिज संस्थान न्यास में जिला कलेक्टर पदेन अध्यक्ष और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पदेन सचिव है। नियमो में किये गये प्रावधानों के अनुरूप ही न्यास निधि से व्यय किया जाना सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिये जाते हैं किः–

2.1 छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के समस्त नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए इन नियमों का गंभीरता से अध्ययन किया जाए।

2.2 नियम 6(1) के प्रावधानों के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों एवं व्यक्तियों की पहचान की जाए और खनन से संबंधित संक्रियाओं से **प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों** की सूची तैयार की जाए और सूची को अद्यतन संधारित की जाए।

2.3 नियम 6(2) के प्रावधानों के अनुसार **प्रभावित व्यक्तियों/स्थानीय समुदायों** की पहचान की जा कर उनकी सूची तैयार की जाए और सूची को अद्यतन संधारित की जाए।

2.4 नियम 15 के उप नियम (13) के प्रावधानों के अनुसार वेबसाइट तैयार की जाए। उप नियम (13) की कंडिका (क) से (ज) में उल्लेखित विवरण की अद्यतन जानकारी वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

2.5 खनन अथवा खनन से संबंधित संकियाओं से प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए न्यास निधि के समुचित उपयोग के लिए नियम 22 में उच्च प्राथमिकता एवं अन्य प्राथमिकता के क्षेत्र को निर्धारित किया गया है। नियम 22 के प्रावधानों को अच्छी तरह से पढ़ने पर यह स्पष्ट होगा कि नियम 22 के उप नियम (2) और उप नियम (3) की कंडिकाओं में उल्लेखित क्षेत्रो के संबंध में न्यास निधि का उपयोग कुछ विशिष्ट कार्यो के लिए ही किये जाने का प्रावधान किया गया है। अतएव नियमों में प्रावधानित क्षेत्रो में ही न्यास निधि का उपयोग सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

2.6 छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के संबंध में व्यवस्थापक / राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी संशोधन / निर्देशो को भी ध्यान में रखते हुए जिला खनिज संस्थान न्यास के कार्यों का सुचारू रूप से संचालन किया जाए।

2.7 न्यास निधि के उपयोग के लिए निर्धारित किये गये क्षेत्रो / कार्यो के संबंध में कोई संशय होने पर उक्त संशय के संबंध में व्यवस्थापक (सचिव, खनिज साधन विभाग) से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

2.8 **जिला खनिज संस्थान न्यास से संबंधित अनुमतियां एवं स्वीकृतियां आदि न्यास के अध्यक्ष के रूप में जारी की जाए।**

3/ उपरोक्त निर्देशो का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

\

(सुबोध कुमार सिंह)
सचिव
खनिज साधन विभाग/
व्यवस्थापक
जिला खनिज संस्थान न्यास

पृष्ठांकन कमांक एफ 7–19 / 2015 / 12(पार्ट)/1 रायपुर, दिनांक 12 JUL 2016

प्रतिलिपिः–

1. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी पदेन सचिव ———————— खनिज संस्थान न्यास, जिला पंचायत ———————— ——— छत्तीसगढ़

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
खनिज साधन विभाग/
व्यवस्थापक
जिला खनिज संस्थान न्यास